## <u>न्यायालय</u>— शरद जोशी, <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड़ जिला</u> बडवानी म.प्र.

आप0प्र0क0— 148 / 2018 आर.सी.टी. कं. 134 / 18 संस्थापन दिनांक—02.05.2018

मध्यप्रदेश आबकारी वृत्त अंजड(थाना ठीकरी क्षेत्र), जिला बड़वानी म0प्र0 ......अभियोगी

विरुद्ध

पवन पिता सुरेश उम्र 27 साल, निवासी ठीकरी थाना ठीकरी जिला बडवानी म0प्र0

.....अभियुक्त

## //निर्णय// (आज दिनांक 02.05.2018 को घोषित )

- 01— अभियुक्त **पवन** के विरूद्ध 34 (1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 26.01.2018 को समय 03:40 बजे, स्थान— ठीकरी पर अभियुक्त के आधिपत्य में वैध अनुज्ञप्ति के बिना देशी मदिरा प्लेन 12 पाव के रखने का आरोप है।
- 02— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि, अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपराध स्वीकार किया गया है।
- 03— अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 26.01.2018 को गस्त के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर समयाभाव के कारण बगैर तलाशी वारंट प्राप्त लिये, आरोपी की जामा तलाशी ढाबे की विधिवत तलाशी गवाहों के समक्ष लेने पर देशी मदिरा प्लेन 12 पाव जांच उपरांत जप्त की। बगैर पास या परमीट के निर्धारित आधिपत्य सीमा से अधिक मात्रा का धारण म.प्र. आबकारी एक्ट 1915 की धारा 16(4) सी का उल्लंघन कर धारा 34 (1) (क) के तहत दंडनीय अपराध आरोपी के विरुद्ध आबकारी विभाग अंजड के द्वारा अप0 क0 985/18 पर प्रथम

$\sim$		
नि	ਹਰਹ	

सूचना पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियुक्त पवन पिता सुरेश के विरूद्ध अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में अभियुक्त पवन पिता सुरेश ने अपराध स्वीकार किया। अभियुक्त को दंड का परिणाम से अवगत कराया गया और उसे समझाया गया कि वह संस्वीकृती करने के लिये आबद्ध नहीं है। किन्तु अभियुक्त के द्वारा अपराध समझने के उपरांत प्रश्नगत दिनांक को अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के देशी मदिरा प्लेन 12 पाव रखना स्वीकार किया है। अतः स्वेच्छापूर्ण की गई संस्वीकृती के आधार पर अभियुक्त को धारा 34 (1) (क) आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

05— अभियुक्त को धारा 34 (1) (क) आबकारी अधिनियम के आरोप में न्यायालय उठने की सजा एवं 1000/— रू के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 07 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

06— प्रकरण में जप्त शुद्धा देशी मदिरा मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।
निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे निर्देशन व बोलने पर
व दिनांकित कर घोषित किया गया टंकित किया गया।

सही / -

(शरद जोशी) न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी अंजड जिला बडवानी म०प्र0 सही/-

(शरद जोशी) न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी अंजड जिला बड़वानी म०प्र0